प्रकरण संख्या 175/2011 खातिया व अन्य बनाम हीरा व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.03.2025	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 88, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 21 के मूल खातेदार नाथा जी थे, जिनके दो पुत्र पेमा व वागा हुए। पेमा का एकलौता पुत्र वजेंगा हुआ तथा वजेंगा के चार पुत्र धुलिया, हमीरा, खातीया व नाथीया हुए, जिसके वारिस वादीगण हैं। इसी तरह वागा के मंगरा, मानीया, हरेंगा, परता व हमीरा पांच पुत्र हुए, जिनके वारिस प्रतिवादीगण हैं। वादीगण के कब्जे काश्त व आधिपत्य की खाता संख्या 9 की आराजी नंबर 3, 8, 70, 104, 110, 111, 113, 117, 123, 125, 127, 128, 129, 150/20, 151/20 कुल किता 15 रकबा 65 बीघा 6 बिस्वा भूमि ग्राम लाम्बीसादडी, तहसील बांसवाड़ा में स्थित है, जिस पर वादीगण लम्बे समय से काबिज होकर कमाते चले आ रहे हैं। उक्त खाता संख्या 9 के सेटलमेन्ट में नये खाता संख्या 10 आराजी नंबर 47, 64, 67, 72, 60, 82/1 कुल खेत 6 रकबा 50 बीघा 1 बिस्वा कायम हुए। इसी प्रकार प्रतिवादी के खाता संख्या 13 में कुल भूमि 40 बीघा 15 बिस्वा वक्त सेटलमेन्ट आयी, जिसमें प्रतिवादीगण काबिज होकर कमा खा रहे हैं। प्रतिवादीगण के पूर्वाधिकारी मानीया ने उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा के न्यायालय में एक वाद संख्या 102/80 उक्त 65 बीघा 6 बिस्वा भूमि के विभाजन का प्रस्तुत किया, जो न्यायालय द्वारा दिनांक 05.09.1983 को प्रारम्भिक डिक्री किया गया, किन्तु अंतिम डिक्री पारित नहीं की गयी। लेकिन प्रारम्भिक डिक्री की जाड़ में म्यूटेशन संख्या 144 से 151 दिनांक 09.08.1989 तथा म्यूटेशन संख्या 150 दिनांक 09.08.1990 अंकित कर प्रतिवादीगण के नाम विधि विरूद्ध वादीगण की 65 बीघा 6 बिस्वा भूमि दर्ज कर दी, जिसे निरस्त करा वादीगण खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी हैं। अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर विवादित आराजियात का खातेदार घोषित किया जावे तथा प्रारम्भिक डिक्री के आधार पर स्वीकृत नामान्तरकरण निरस्त किये जावें।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.04.15 15:05:47 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादीगण द्वारा खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत करने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकियां कायम की गयी तथा तनकीवार विवेचन करते हुए दिनांक 05.07.2011 को वादीगण का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट की ओर से अधिवक्ता श्री अब्दुल वहाव उपस्थित हुए। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री डी. के. निगम उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर पत्रावली का अवलोकन किया।

अपीलान्ट ने अपील मीमों में अंकित किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट/वादीगण के वाद को रेसज्यूडीकेटा के सिद्धान्त के आधार पर खारिज करने में भारी भूल की है। पक्षकारान के मध्य विवादित भूमि बाबत् पूर्व में बंटवारा हो चुका था, इसी अनुसार वादीगण काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में 7 तनकियां कायम की, किन्तु तनकीवार विवेचन नहीं किया है, जो आदेश 20 जा.दी. के विपरीत है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमायी जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि नामान्तरकरण के विरूद्ध 22 साल बाद दावा लेकर आये हैं, नामान्तरकरण के विरूद्ध अलग से कोई अपील नहीं की गयी है। विवादित भूमि नाथा के समय की साबित नहीं हुई है इसलिए इसे पैत्रृक नहीं माना जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री विधि सम्मत है। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। स्वयं अपीलान्ट/वादीगण के कथनानुसार तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 102/80 में दिनांक 05.09.1983 को विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जा[illegible] जाकर वर्ष 1989 में

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.04.15 15:05:47 IST
Reason: SelfAttested

नामान्तरकरण स्वीकृत हो चुके हैं। उक्त प्रारम्भिक डिक्री एवं नामान्तरकरण को निरस्त करने की कोई अपील अपीलान्ट/वादीगण द्वारा नहीं की गयी है, बल्कि उक्त प्रारम्भिक डिक्री व नामान्तरकरणों को निरस्त कराने बाबत् नया वाद वर्ष 2001 में प्रस्तुत किया है, जो स्पष्ट रूप से रेसज्यूडीकेटा से प्रभावित है। अपीलान्ट/वादीगण ने विवादित आराजियात को नाथा जी के समय की बताकर पैत्रृक होना बताया है, जबकि नाथा के समय के कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये हैं, जिससे विवादित भूमि को पैत्रृक नहीं माना जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने दावे व जवाबदावे के आधार पर तनकियां कायम कर तनकीवार विवेचन करते हुए अपीलान्ट/वादीगण का वाद खारिज किया है, जो प्रथम दृष्टया विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना आवश्यक नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 175/2011 निर्णय एवं डिक्री 05.07.2011 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 27.03.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.04.15 15:05:47 IST
Reason: SelfAttested